कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees Provident Fund Organisation
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्यकार्यालय/ HEAD OFFICE
एन.बी.सी.सी सेंटर, ब्लॉक-2, ग्राउंड फ्लोर- 4th फ्लोर, ईस्ट किदवई नगर, नईदिल्ली -110023
NBCC Centre, Block-2, Ground Floor- 4th Floor, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

फ़ाइल संख्या: ए-12011/8/2024-परीक्षा 362
दिनांक: 22/04/2025

सेवा में,
राधेश्याम मीणा
यूपीएससी रोल नंबर 1103819, 5वां रिजर्व पैनल
मीणा पट्टी शिवांग पट्टी
सलेमपुर खुर्द
भरतपुर, राजस्थान
321407

विषयः- प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी-डीआर कोटा के पद पर नियुक्ति रद्द करने के संबंध में।

महोदय,

यह दिनांक 09.07.2024 के पत्र संख्या जेडओ/राज/जेपीआर/ईओ-एओ नियुक्ति (डीआर)/351 द्वारा जारी नियुक्ति प्रस्ताव और उसके बाद दिनांक 24.09.2024 के पत्र संख्या ए-12011/8/2024-परीक्षा/150 द्वारा जारी अनंतिम नियुक्ति पत्र के संदर्भ में है।

आपने अपनी दिनांक 01.10.2024 की ईमेल के माध्यम से कार्यभार ग्रहण करने के लिए 100 दिन के विस्तार का अनुरोध किया था। तदनुसार, दिनांक 19.12.2024 की ईमेल के माध्यम से आपको तुरंत आंचलिक कार्यालय, चेन्नई और पुडुचेरी में कार्यभार ग्रहण करने का निदेश दिया गया था। इसके बाद, दिनांक 31.12.2024 को भेजे गए ईमेल के माध्यम से आपने 45 दिन के अतिरिक्त विस्तार का अनुरोध किया, जिसे दिनांक 03.01.2025 को भेजे गए ईमेल के तहत अस्वीकार कर दिया गया। आपको पुनः बिना किसी देरी के ड्यूटी पर रिपोर्ट करने का निदेश दिया गया।

अंत में, 24.03.2025 को भेजे गए ईमेल के माध्यम से आपको 7 दिन के भीतर आंचलिक कार्यालय, चेन्नई एवं पुडुचेरी, तमिलनाडु में रिपोर्ट करने का निदेश दिया गया था, और ऐसा न करने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तथापि, आज तक, आपने ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं किया है।

उपर्युक्त के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है। इस संबंध में आगे कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी)

सादर,

पप्रकाश

(पीपीएस मैंगी)
क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-I (भर्ती प्रभाग)

प्रतिलिपि: (ईपीएफओ वेबसाइट के माध्यम से)

1. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के प्रधान निजी सचिव - सूचनार्थ।
2. मुख्य सतर्कता अधिकारी के प्रधान निजी सचिव - सूचनार्थ।
3. सभी अंचलों के अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के प्रधान निजी सचिव - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एनडीसी) - आदेश को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।